

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सतीश बनाम एस. डी. ओ. कोटपूतली व अन्य

प्रकरण संख्या : 22/2022 (धारा 14 सिविल रिट आइजेसन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप
12.03.2022 <i>आज्ञा नहीं चलाना चाहिए 12/3/22</i>	<p>पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित है। प्रार्थी के वकील ने प्रकरण को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रेस किया है।</p> <p>अतः प्रार्थी वकील द्वारा प्रकरण को नोट प्रेस किये जाने से धारा 235 RTI एक्ट के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p><i>[Signature]</i> जिला कलक्टर जयपुर</p>